मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 08.08.2011 का कार्यवाही विवरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खनि रियायतों के आवेदनों के निराकरण एवं इनके लिये अन्य विभागों से प्राप्त अनुमतियों के निराकरण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 08.08.2011 को अपरान्ह 4.30 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में संलग्न सूची अनुसार सदस्य उपस्थित रहे।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–1 : दिनांक 25.02.2011 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा।

सर्वप्रथम राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2011 को आयोजित द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में पालन प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव के द्वारा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई, उनके संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गए :–

(1) जिलों में लंबित खनि रियायत आवेदन पत्रों को समयावधि में निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में वन, राजस्व एवं खनिज विभाग का संयुक्त दल गठित किया जाकर माह में निर्धारित दिवस पर संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाकर आवेदन के संबंध में जांच प्रतिवेदन शीघ्र जारी किये जाने हेतु समस्त कलेक्टर्स को वन विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल का गठन एवं दिवस निर्धारित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में प्रदेश के जिला दतिया, मंदसौर, शाजापुर, देवास एवं धार जिले द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन कर लिया गया है तथा दल गठन उपरांत कुल 43 प्रकरणों में आवश्यक जांच प्रतिवेदन जारी किये जा चुके हैं। अन्य जिलों में कार्यवाही प्रचलन में है। जिला स्तर, संचालनालय एवं राज्य शासन स्तर पर अभी भी बड़ी संख्या में प्रकरणों के लंबित होने पर मुख्य सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित कया गया कि राज्य शासन एवं संचालनालय स्तर पर निर्धारित समयावधि से अधिक अवधि से लंबित प्रकरण आगामी बैठक के पूर्व निराकृत करने के लिये अभियान चलाया जावे। साथ ही कलेक्टर्स को पूर्व में

दिए गए निर्देशानुसार माह में दो निश्चित तिथियों को संयुक्त स्थल निरीक्षण कराकर सभी प्रकरण समय–सीमा में अग्रेषित करने के लिये पुनः निर्देशित किया जावे।

(2) पूर्व में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि विभाग के ई–खनिज साफ्टवेयर में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये जावे ताकि इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी/कांटछांट न होने पाये। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि इस बाबत् एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) को साफ्टवेयर में आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जाने हेतु लेख किया गया है एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एन.आई.सी. द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये जाते है एवं सतत् निगरानी रखी जाती है साथ ही समय–समय पर निर्धारित सुरक्षा अंकेक्षण (Security Audit) भी किया जाता है।

पूर्व बैठक में मुख्य सचिव द्वारा खनि रियायत से संबंधित समस्त भुगतान एवं फीस आनलाइन जमा किये जाने बाबत् सुझाव दिया गया था। इस पर सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस बाबत् सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी नई दिल्ली बैठक में दिये गये निर्देशानुसार गुजरात शासन के उपक्रम जीएनएफसी (गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कारर्पोरेशन) की संस्था एन–कोड सल्यूशन द्वारा खनि प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण विषय में प्रस्तुतीकरण किया जाकर प्रस्ताव दिया गया है, जिसका परीक्षण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कार्यपालक संचालक, एप्को द्वारा इस बाबत् साइबर ट्रेजरी के अंतर्गत एसबीआई से ई–पैमेंट का कार्य कराने जाने के संबंध में सलाह दी गई, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग आपस में समन्वय कर इस दिशा में की जाने वाली कार्यवाही सुनिश्चित करें। सदस्य सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में आगामी छैः माह में कार्यवाही पूर्ण करा ली जावेगी।

ई भुगतान के संबंध में प्रबंध संचालक एम.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में प्रचलित ई खनिज साफ्टवेयर में ऑनलाइन भुगतान के संबंध में साइबर ट्रेजरी एवं एस.बी.आई. के सहयोग से कार्यवाही की जा सकती है। सदस्य आवास एवं पर्यावरण

विभाग द्वारा इस बाबत् एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से भी कराये जाने के बारे में अवगत कराया गया।

खनिज राजस्व के ऑनलाइन भुगतान के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि साइबर ट्रेजरी एवं एस.बी.आई. के सहयोग से पूर्व से विकसित साफ्टवेयर का क्या इस हेतु उपयोग किया जा सकता है? इसका परीक्षण किया जावे।

(3) प्रदेश में निष्पादित एम.ओ.यू. की समीक्षा के अंतर्गत ट्रायफेक द्वारा एम.ओ.यू. संख्या मिलान न होने के बारे में अवगत कराया गया। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि दोनों विभागों के आपस में समन्वय स्थापित कर एम.ओ.यू. प्रकरण संख्या का मिलान करा लिया जावेगा एवं आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे एम.ओ.यू. प्रकरण जिनमें आवेदक की रुचि न हो एवं जहां खनिज की उपलब्धता प्रस्तावित उद्योगों के अनुरुप न हो उनके एम.ओ.यू. तत्काल निरस्त किये जावें, सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा इस बाबत् निर्देशानुसार समयावधि में कार्यवाही किये जाने के बारे आश्वस्त किया गया।

(4) सदस्य सचिव द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया कि इस संबंध में आयुक्त परिवहन एवं जिला कलेक्टरों से चर्चा की गई है एवं निर्देशित किया गया है कि समस्त जिलों में इस बाबत् संयुक्त जांच दल गठित किया जावे जिसमें खनिज, राजस्व, वन एवं आर.टी.ओ. को भी शामिल किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेन्स रद्द करनें एवं वाहन का परमिट निरस्त करनें हेतु कार्यवाही किए जाने के लिये मुख्य सचिव ने आयुक्त परिवहन को पुनः लेख करने के लिये निर्देशित करते हुये यह अपेक्षा की गई है कि वे आगामी बैठक के पूर्व इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर प्रतिवेदन भिजवायें। साथ ही आगामी बैठक में आयुक्त परिवहन को भी बुलाये जाने के लिये मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए।

(5) सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि अध्यक्ष महोदय के दिये गये निर्देशों के पालन में प्रदेश के निर्माण कार्य विभागों की बैठक प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2011 को आयोजित की गई एवं बैठक के अंतर्गत निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग के वर्क्स मेन्युअल (Works Manual) में ऐसी शर्त का समावेश किया जावे जिससे निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज के संबंध में रायल्टी अपवंचन बिल्कुल न हो सके व पूरी रायल्टी प्राप्त हो।

सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा एम.सी.डी.आर. 1988 के नियम–45 में संशोधन किया है इसके अनुरूप मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में संशोधन किया जा रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि शासकीय निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज की रायल्टी अदेय प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार लोक निर्माण विभाग के वर्क्स मेन्युअल (Works Manual) में संशोधन की कार्यवाही निश्चित समय–सीमा में पूर्ण की जावे।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–2 : खनि रियायत आवेदन पत्रों के जिला, संचालनालय तथा शासन स्तर पर निराकरण की समीक्षा।

खनि रियायत के अत्याधिक संख्या में लंबित आवेदन पत्रों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में प्रसारित निर्देशों के अंतर्गत लंबित आवेदनों के निराकरण किये जाने के बारे में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस बाबत् समस्त कलेक्टर्स, वनमण्डलाधिकारी एवं वनवृत्त संरक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझााव दिया गया कि खनि रियायत के आवेदनों में संलग्न खसरा नक्शा के स्थान पर टोपोशीट नक्शे लगाये जायें ताकि अधिक संख्या में खसरे नक्शे लगाये की बाध्यता नही हो एवं इस विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि रिकोनेसेन्स परमिट में चूंकि बृहद् क्षेत्र आवेदित होता है अतः आवेदन के साथ टोपोशीट, नक्शे मान्य किये जा रहे है। अन्य खनि रियायत आवेदनों में खनि नियमों के अंतर्गत भू–अभिलेख, खसरा नक्शे संलग्न किया जाना अनिवार्य है एवं मैप स्केल अलग होने से इसे अपनाने में व्यवहारिक कठिनाईयां है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस बारे में सचिव, खनिज साधन विभाग को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में कर्नाटक राज्य में अपनाई जा रही पद्धति के बारे में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि अत्याधिक संख्या में खसरा नक्शे के स्थान पर आवेदित क्षेत्र के एकजाई नक्शे जोकि टोपोशीट पर आधारित हैं लगाये जाये ताकि खनि आवेदनों के निराकरण में सुविधा हो।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–3 : खनि रियायत स्वीकृत करने के लिये आवश्यक विभागों विशेषकर वन एवं राजस्व में लंबित अनापत्तियों की समीक्षा।

प्रदेश में लंबित खनि रियायत आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा संभागीय स्तर पर संयुक्त टीम गठित कर निराकरण कराये जाने के बारे में सुझाव दिया गया। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस बाबत् दल गठन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को रखे जाने पर भी विचार किया जावे एवं क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाये जाने हेतु सचिव, खनिज साधन विभाग को निर्देशित किया गया तथा इस कार्य पर व्यय होने वाली समस्त राशि का भुगतान मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–4 : राज्य शासन द्वारा घोषित खनिज नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा।

खनिज नीति के क्रियान्वयन के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा बैठक में खनिज नीति की बिन्दुवार प्रगति से अवगत कराया गया एवं विभाग के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण के बारे में अवगत कराया गया कि आगामी 6 माह में विभाग की प्रयोगशाला को आधुनिकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।

खनिज नीति के अंतर्गत खनि नियमों का उल्लंघन किये जाने वाले आवेदकों को खनि रियायत स्वीकृति नहीं किये जाने भारत सरकार द्वारा नवीन खनिज अधिनियम में प्रावधान किये जा रहे है। साथ ही प्रदेश में 5.00 करोड़ से अधिक खनिज राजस्व खदानों का सी.ए. द्वारा आडिट कराये जाने के बारे में अवगत कराया गया। 5.00 करोड़ से अधिक राजस्व दिये जाने वाली अधिकतर खदानें, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की है। विभाग द्वारा सीमेंट संयंत्रों के संबंध में सी.ए. द्वारा आडिट की कार्यवाही चूनापत्थर के उपयोग के संबंध में की जा रही है।

ऑनलाइन रायल्टी पास सिस्टम एवं खनि प्रशासन के कम्प्यूट्रीकरण के संबंध में जी.एन.एफ.सी. गुजरात के प्रस्ताव पर आगामी 6 माह की अवधि में विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के बारे में अवगत कराया गया।

प्रदेश में खनन उद्योग हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के लिये आई.टी.आई. पाठ्यक्रम तथा डिग्री कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में निजी सहभागिता हेतु एन.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल. एवं जे.पी. ग्रुप आदि से चर्चा के संबंध में अवगत कराया गया।

खनि रियायत हेतु लार्ज एरिया नोटिफिकेशन (Large Area Notification) के बारे में अवगत कराया गया कि ऐसा करने से उपयुक्त व्यक्ति/संस्था को चयन किये जाने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव द्वारा खनि रियायतधारियों से जिले में विकास कार्य में सहयोग देने एवं आवश्यक कार्य किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये एवं प्रदेश में विशेषकर आंगवाड़ी केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के संबंध में क्षेत्र के खनि रियायतधारियों की मदद लिया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस पर सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की जाकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

लंबित खनि रियायत के आवेदनों की सतत् निगरानी हेतु विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकृत किये जाने बाबत् आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने जावें तथा क्षेत्रीय प्रमुख

इस बाबत् अनापत्ति देंगे कि इनके प्रभार के समस्त जिलों में ई–खनिज साफ्टवेयर में सभी आवेदन, अनुज्ञप्ति एवं डाटा एंट्री कर ली गई है।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–5 : रजिस्टर आफ माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम पर चर्चा।

प्रदेश में डी.जी.पी.एस. (D.G.P.S. Survey) सर्वे कराये जाने हेु सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा आश्वस्त कराया गया कि इस संबंध में कार्यवाही शीघ्र करा ली जावेगी। भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी प्रपत्र 2/2010 दिनांक 06.04.2010 के अनुरूप प्रदेश में स्वीकृत/आवेदित खनि रियायत के डी.जी.पी.एस. सर्वे कराये जाने हेतु कार्यवाही समयावधि में सुनिश्चित किये जाने के बारे में प्रदेश में विभिन्न एजेंसियों के सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है एवं शीघ्र ही खनि रियायतधारियों को उक्त कार्य कराये जाने के बारे में अवगत कराया जावेगा।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–6 : प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने की समीक्षा।

अवैध उत्खनन/परिवहन के दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल दर्ज प्रकरण 6064 पर प्राप्त आरोपित अर्थदण्ड राशि 777.18 लाख रूपये के बारे में मुख्य सचिव द्वारा इस दिशा में गंभीर प्रयास की आवश्यकता बताते हुए इसे और अधिक बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा मुरैना जिले में रेत के अवैध उत्खनन किये जाने के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया गया इस पर मुख्य सचिव द्वारा सचिव खनिज साधन विभाग को कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–7 : अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

रेल्वे विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि खनिज राजस्व की क्षति रोके जाने हेतु रेल्वे विभाग द्वारा स्टाकयार्ड से वेगन में खनिज लटान के पूर्व इलेक्ट्रोनिक तौलकांटे से वेगन का माप किया जाकर रिकार्ड रखा जाता है जिससे कि परिवहित खनिज

की मात्रा के बारे में हेराफेरी न किया जा सके एवं खनिज मात्रा के अनुपात में रायल्टी की शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित हो सके।

जी.एस.आई. प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रदेश में जारी रिको परमिट की जानकारी समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। इस पर खनिज साधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रिको परमिट आवेदन प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम जी.एस.आई. को पत्र लेख कर आवेदित क्षेत्र पर वर्तमान एवं भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी ली जाती है। तदृपरांत ही आवेदन पर आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकता मुख्यालय के साथ–साथ प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को भी प्रेषित की जाती है।

आई.बी.एम. द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में खनिज डिस्पेच के आधार पर रायल्टी ली जाती है। जबकि खनिज का खदान की लीज एरिया के पास स्टाक करके रियायतधारी रख लेते है व इससे रायल्टी अपवंचन हो सकता है। ग्राम झीठी खदान की अनियमितता का उनके द्वारा उल्लेख किया गया जिस पर सचिव, खनिज साधन विभाग के साथ आई.बी.एम. प्रतिनिधि को चर्चा किये जाने के मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये। सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा बताया गया कि खनन योजना में दर्शित उत्पादन आंकड़ों के अनुरूप ही खनन होना चाहिये यदि दर्शित उत्पादन मात्रा से अधिक मात्रा में खनन होता है तब नियमानुसार आई.बी.एम. द्वारा कार्यवाही की जाना चाहिये।

शासन द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अद्यतन सूची आई.बी.एम. को उपलब्ध कराये जाने बाबत् कहा गया। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रदेश से जारी एल.ओ.आई. की अद्यतन सूची अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिये जाने हेतु आवश्वासन दिया गया। साथ ही कहा की प्रदेश में पी.एस.यू. एवं अन्य उपक्रमों के लिये आरक्षित क्षेत्र की जानकारी भी उपलब्ध करा दी जावेगी। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा इस बारे में मुख्य खनिज के जिलों को कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देश जारी किये जाने बाबत् आश्वस्त किया गया। सचिव खनिज साधन विभाग द्वारा दिए धन्यवाद के पश्चात बैठक समाप्त हुई।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 08.08.2011 में उपस्थित सदस्यों की सूची

1– श्री एन.पी. शुक्ला, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड

2– श्री अशोक दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग

3– श्री स्वदीप सिंह, प्रमुख सचिव, वन विभाग

4– श्री आर.के. स्वाई, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग

5– श्री पी.के. दास, प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी. एवं ट्रायफेक

6– श्री सी.के. गुप्ता, आयुक्त, ग्राम तथा नगर निवेश

7– श्री एस.के. मिश्रा, सचिव, खनिज साधन विभाग

8– श्री मनोहर दुबे, कार्यकारी संचालक, एप्को

9– श्री हमेन्द्र कुमार, सीनियर डी.ओ.एम. पश्चिम मध्य रेल्वे

10– श्री ए.बी. साबले, निदेशक, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

11– श्री पी.पी. चक्रवर्ती, डी.सी.ओ.एम., भारतीय खान ब्यूरो